अपने रक्षा उद्योग मजबूत करना

साभार : बिजनेस लाइन
04 अगस्त, 2017

गौरव मेन्दंडीटा / रजत दुग्गल (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3 (अर्थव्यवस्था, रक्षा) के लिए महत्वपूर्ण है।

निजी क्षेत्र को एकस्तरीय खेल मैदान की जरूरत है जहां एफडीआई उदारीकरण, लालफीताशाही की समाप्ति और कर प्रोत्साहन इसमें सुधार ला सकती है।

यह अनुमान लगाया गया है कि भारत का रक्षा क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े और आकर्षक बाजारों में से एक है जिसे आने वाले दशको में आत्मनिर्भर होने के लिए आधुनिकीकरण और पुनर्गठन के लिए 130-150 अरब डॉलर की आवश्यकता है। सरकार ने इस वित्त वर्ष में क्षेत्र के विकास के लिए 40 अरब डॉलर से अधिक का आवंटन किया है, लेकिन सवाल यह है कि कब तक हम कौशल सेट और क्षमताओं के बावजूद हम अपने ज्यादातर रक्षा उपकरणों को आयात करते रहेंगे? प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर बुनियादी संसाधनों की उपलब्धता से बंधे हाथों से, यह अत्यंत पूंजीगत उद्योग वित्तीय और नियामक नीतियों के मामले में एक पतली बर्फ की चादर पर खड़ा है जो कभी भी इसे गर्त में ले जा सकती है। एक तरफ, सभी सुविधाओं के बावजूद, पीएसयू का विकास स्थिर है, साथ ही साथ निजी क्षेत्र अन्य देशों के साथ तालमेल नहीं बना रहे हैं।

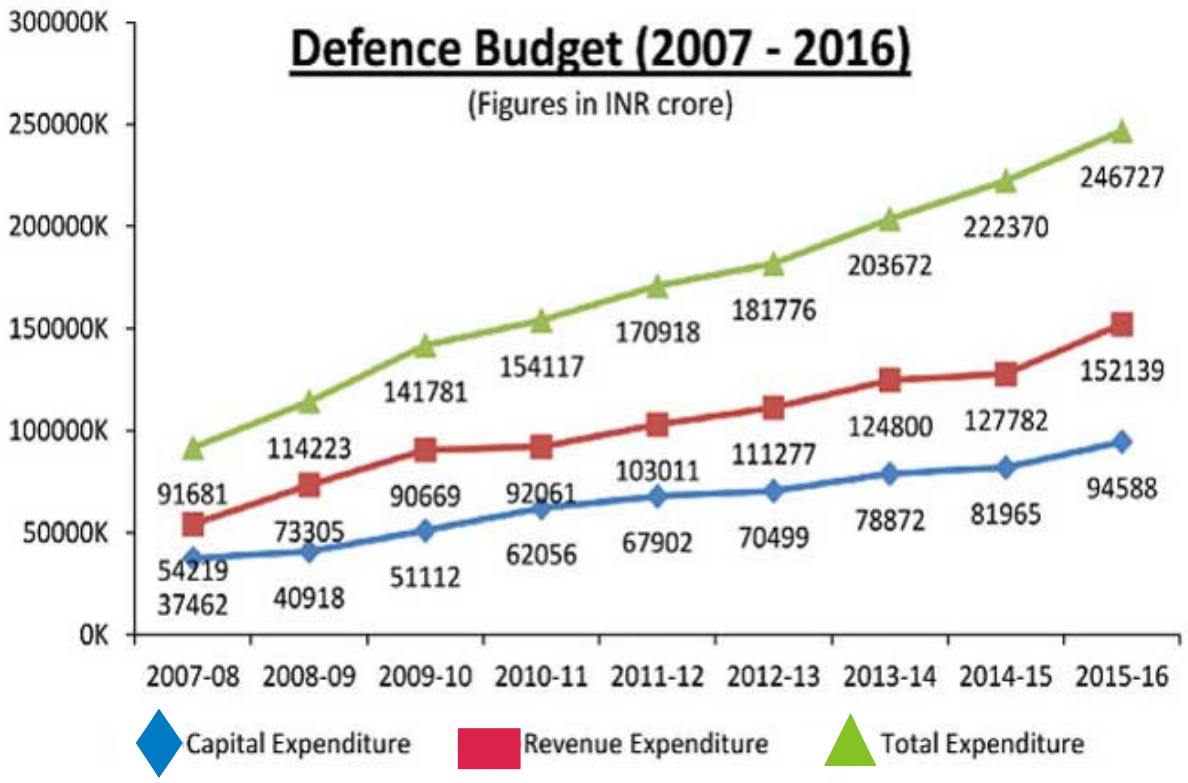

निजी क्षेत्रो की अनदेखी

इस क्षेत्र में कठोर जांच के कारण रिटर्न पर जोखिम, कठोर और अस्पष्ट नीतिगत ढांचे, आदेशों की अनियमित अनुदान, मांग की कमी और छोटे आदेशों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता, संसाधनों की कमी और कुशल श्रमिकों की कमी के कारण निजी क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन का अभाव व्याप्त है। इस क्षेत्र की संवेदनशील आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उत्पादन में बड़े पैमाने पर निवेश करने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र में यह भी महसूस हो रहा है कि वे विमुख हो गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा सहायता प्रदान किए जाने वाले विशाल बुनियादी ढांचे, निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग सहित विभिन्न कारणों से सार्वजनिक क्षेत्र की तरफ एकस्तरीय मैदान की कमी आ गयी है। संयोग से, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निजी क्षेत्र ने रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, तकनीकी प्रगति और सहयोग से कोई न्यायसंगत अग्रणी सफलता नहीं दिखाई है।

एक अंतरण बिंदु के शिखर पर इस क्षेत्र के साथ, सरकार अपने इरादे और रणनीति के बीच की खाई को पाटने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। देखा जाये तो पिछले दो सालों के दौरान आवश्यकता की स्वीकृति 90 प्रतिशत भारतीय 'इंडियन इंडस्ट्रीज' को दिया गया है जो 'खरीद' और 'खरीदने और बनाने' के श्रेणियों से संबंधित थे, वह वर्ष 2014-15 में 94 फीसदी तक पहुँच गए थे। लेकिन इस क्षेत्र की क्षमता पर विचार करते हुए, सरकार को इस क्षेत्र की दक्षता को बढ़ाने के लिए और अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

क्या किये जाने की आवश्यकता है

रक्षा उपकरणों की अद्वितीय प्रकृति और वैश्विक रक्षा उद्योग के विन्यास को ध्यान में रखते हुए, कुछ निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं:-

1. **एफडीआई उदारीकरण:** एक उदारीकृत एफडीआई व्यवस्था देश में निवेश को बढ़ावा दे सकती है और घरेलू स्तर पर निर्मित रक्षा उत्पादों के बाद के निर्यात को बढ़ावा दे सकती है। निश्चित तौर पर एफडीआई को गले लगाने की जरूरत है, साथ ही साथ पर्यावरण को विनियमित करने के लिए सही तरीके से सही जांच और संतुलन बनाये रखने और आउटपुट के उपयोग को समाप्त करने की आवश्यकता है। साथ ही, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ही एकमात्र पर्याप्त विकल्प नहीं है, बल्कि विदेशी कंपनियों को भी भारतीय सहायक कंपनियों, साथ ही साथ भारत की सार्वजनिक और निजी उपक्रमों के समान ही एक समान मंच दिया जाना चाहिए।

   उन्नत तकनीकी के साथ भारत में शीर्ष तकनीकी वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के साथ समन्वय में काम करने वाले विदेशी निवेशक की क्षमताओं और उन्नत आईटी कौशल और निरंतर गुणवत्ता कार्यबल की उपलब्धता के साथ, भारत घरेलू रक्षा उत्पादन में तालमेल बिठाने के लिए बाध्य है।
2. **पॉलिसी का सरलीकरण:** आज, रक्षा क्षेत्र को औद्योगिक लाइसेंसिंग, आयात, निर्यात, सुरक्षा मैनुअल, कर विनियमन और खरीद नीतियों सहित विभिन्न नीतियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पहले से अनिश्चित और अस्पष्ट कानूनी ढांचे में सक्रिय खिलाड़ियों पर अधिरोपित नियंत्रण और प्रतिबंध उनकी दक्षता और उत्पादकता को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।

   अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करने में अनुमोदनों और नौकरशाही की अधिकता विदेशी निवेश के प्रवाह के प्रति प्रतिरोधी और उसके सहभागिता लाभ के रूप में कार्य करती है। सभी नीतियों को सुसंगत और सिंक्रनाइज किया जाना चाहिए जो पूर्वनिर्धारित समय सीमा के साथ एकल खिड़की निकासी तंत्र की दिशा में कार्य करता है, ताकि सेट अप और संचालन का समय सीमा कम हो सके। इससे रक्षा क्षेत्र के लिए सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभियान में मदद करेगी।
3. **कर प्रोत्साहन:** सरकार इस क्षेत्र को एक बुनियादी ढांचा की स्थिति प्रदान करने वाले रक्षा निर्माताओं को लाभ देने पर विचार कर सकती है, जिसमें वे निर्धारित वर्ष के लिए 100 प्रतिशत लाभ का आनंद ले सकते हैं। देश में पूंजीगत उपकरण और विनिर्माण रक्षा उत्पादों के आयात पर कर्तव्यों को कम करने के अलावा विनिर्माण उद्योग के आधार को मजबूत करने और घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए बेहतर कीमत और गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में मदद मिलेगी।
4. **समावेशी विकास के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण:** रक्षा खरीद विभाग के साथ समझौता ज्ञापन में एसएमई के लिए एक प्रोटोटाइप स्तर के वित्त पोषण के लिए उन्नत बुनियादी ढांचा, तकनीकी विकास और एक कार्यात्मक फंड होना बेहद जरूरी है ताकि उन्हें रिटर्न पर जोखिम उठाने में मदद मिल सके, नियमित आदेश और डिजाइन और विकास कार्य को कुशलतापूर्वक पूरा करने के साथ-साथ आला विनिर्माण में अभिनव क्षमताओं की विशिष्ट विशेषताओं को अवशोषित करने के लिए।

   इसके अलावा, यह क्षेत्र की आकर्षकता को उजागर करेगा जिससे कि यह देवदूता निवेशकों को तलाशने का अवसर देगा। पीएसयू को एसएमई को ज्यादा आउटसोर्स करना चाहिए और निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी के लिए सरकार से मिलने वाली विदेशी कंपनियों की चुनौतियों पर विचार करके विकास के साथ लाभप्रदता को कम करने के लिए क्षेत्र में निवेश को आगे बढ़ाने के लिए पहल करना चाहिए।
5. **सामरिक साझेदारी मॉडल का कार्यान्वयन:** सरकार ने हेलिकॉप्टर, पनडुब्बियों इत्यादि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सरकार द्वारा सभी प्रमुख रक्षा खरीददारों के लिए एक भारतीय रणनीतिक साझेदार चुनने पर केंद्रित रणनीतिक साझेदारी नीति को हाल ही में सूचित किया है।

   यह नीति स्वदेशीकरण और क्षमता विकास के प्रति एक अभिन्न कदम है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि, यदि ठीक से लागू किया गया है, तो घरेलू सुरक्षा उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन और रक्षा निर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो सकता है। यहाँ इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आवश्यक संसाधनों को विकसित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाये और भारतीय रक्षा खिलाड़ियों को मजबूत करने के लिए जब भी आवश्यक हो, विदेशी सहयोग से दूर नहीं भागना चाहिए।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की खोज में, इसकी प्रभावशीलता सामरिक आवश्यकताओं, गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्धा के आधार पर सही मॉडल के चयन पर निर्भर करती है जो कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की उपस्थिति को चिह्नित करने के लिए अनिवार्य है। उपरोक्त सिफारिशों का प्रस्ताव करते समय इन कारकों को ध्यान में रखा गया है। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में भारत का भविष्य बहुत मेहनतपूर्ण है और मेक इन इंडिया पहल के साथ सिंक्रनाइजेशन में है। यह मौजूदा और संभावित संसाधनों के सक्रिय प्रबंधन की बात है जो वित्तीय और नियामक दृष्टिकोण से काफी सहायक है।

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322
GS World

रक्षा खरीद नीति-2016

- भारत ने लगभग 3 लाख करोड़ का बजट रक्षा के लिए रखा जाता है जिसका लगभग 40 प्रतिशत हथियार खरीदने में प्रयोग होता है।
- अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुताबिक 2011 से 2016 के मध्य भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश रहा। भारत की हथियार आवश्कताओं का केवल ही सरकारी कम्पनियाँ पूरी कर पाती है, शेष के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।
- रक्षा खरीद नीति 2013 के मुताबिक विदेशी कम्पनी को हथियार बेचने के लिए ऑफसेट नियम का पालन लाना होगा अर्थात दिये गए राशि का 30 प्रतिशत भारत में ही निवेश करना होगा। इस नियम के कारण विदेशी कम्पनियाँ भारत को हथियार बेचने में पीछे रही है।

भारत के हथियार क्षेत्र की समस्याएँ

- भारत में रक्षा उत्पादन में सरकारी कंपनियों का दबदबा।
- जारी होने और खरीदारी के बीच लम्बा समय अंतराल।
- FDI नीतियों में एकरूपता न होना।
- सरकारी कम्पनियों का अनुसंधान एवं विकास में निवेश कम करना।
- विदेशी रक्षा सौदों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं पारदर्शिता का अभाव।
- रक्षा खरीद नीति पर कूटनीतिक का संबंधों का प्रभाव।

1. ऑफसेट नियम में बदलाव किया गया है-

- 2013 के मुकाबले 2016 की रक्षा खरीद नीति में ऑफसेट के लिए न्यूनतम राशि बढ़ा दी गयी है।
- 300 करोड़ के स्थान पर 2000 करोड़ रुपये सौदे की न्यूनतम राशि रखी गयी है।

2. हथियार खरीदने की प्राथमिकता

- 2016 की नीति में हथियार खरीदने के लिए प्राथमिकतायें तय की गयी है। यदि कम्पनी पूर्णत: भारतीय है तो उसे प्राथमिकता अधिक दी जायेगी, विदेशियों को कम।
- नीति में 5 श्रेणियां बनाई गयी है, जो प्राथमिकतायें तय करेगी।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस नीति के तहत भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा इसमें मेक इन इंडिया, छोटी इकाइयों और सेना की जरूरतों को आधार बनाया गया है।
- डीपीपी से मेक इन इंडिया के एजेंडा को आगे बढ़ाया जा सकेगा, इससे भारत के रक्षा उद्योग नेटवर्क के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
- नई डीपीपी से अधिक पारदर्शिता आएगी और रक्षा खरीद मंजूरियों में तेजी लाई जा सकेगी।
- विदेशी कंपनियों द्वारा पूर्व में जताई गई चिंताओं को इस नीति के जरिये अगले तीन से चार महीने में दूर किया जा सकेगा।
- नई नीति में एक नई भारतीय डिजाइन, विकसित तथा विनिर्मित श्रेणी पेश की गई है जिससे स्थानीय इकाइयों को लाभ होगा।
- रक्षा क्षेत्र में स्वत: मंजूर मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत किया गया है।
- रक्षा निर्यात मंजूरियां ऑनलाइन दी जा रही हैं।
- नई नीति में स्टार्ट अप इंडिया पहल को भी शामिल किया जाएगा।
- प्रौद्योगिकी में निरंतर होने वाले बदलावों से भारत में इसका इस्तेमाल अपने रक्षा उत्पादन में करने की क्षमता है। नई नीति से दुनिया भारत में आ रहे प्रौद्योगिकी बदलाव का फायदा ले पाएगी।
- नई नीति से भारत की अन्य देशों पर निर्भरता कम होगी और रक्षा उपकरणों की खरीद देश में ही कर सकेंगे।
- इसके अलावा नई ब्लैकलिस्टिंग नीति (काली सूची में डालने की नीति) भी जारी की जाएगी और जो पहले से ब्लैकलिस्ट हैं उन्हें कोई रियायत नहीं दी जाएगी तथा रिश्वत देने वालों को भी सजा मिलेगी।

मुख्य विशेषताएं

- इस नई नीति ने रक्षा खरीद प्रक्रिया 2013 का स्थान लिया है।
- नई रक्षा खरीद नीति के मुख्य प्रावधान 2013 की नीति की समीक्षा के लिए मई 2015 में गठित धीरेन्द्र सिंह समिति की रिपोर्ट पर आधारित हैं।
- इस नई रक्षा नीति का उद्देश्य आवंटित बजटीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हुए सैन्य बलों के लिए आवश्यक सैन्य उपकरणों, प्रणालियों और प्लेटफॉर्म की समय से खरीद सुनिश्चित करना है।
- इस नीति से न केवल बड़ी कंपनियों को लाभ होगा, बल्कि इससे रक्षा परियोजनाओं में छोटी और मझोली कंपनियों को भी शामिल होने का मौका मिलेगा।
- इस नई नीति में घरेलू कंपनियों द्वारा डिजाइन किए गए, विकसित और विनिर्मित उपकरणों की खरीद पर जोर दिया गया है।
- इस नीति के तहत पनडुब्बी, युद्धक विमान से जुड़ी परियोजनाएं सामरिक साझेदारी के जरिए शुरू की जा सकेंगी तथा हथियार फैक्ट्री के प्रोजेक्ट भी इसी के तहत शुरू होंगे। इस नई नीति से संवेदनशील हथियार या मशीनें खरीदने की प्रक्रिया तेज की जाएगी और जरूरी हथियार या मशीनें खरीदने में तेजी लाई जाएगी।
- इस नीति के तहत रक्षा क्षेत्र की खरीद में आईडीडीएम (Indigenouly Designed Developed and Manufactured-IDDM) को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
- इससे हथियारों के लिए भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी और रक्षा उपकरणों की खरीद देश में ही की जा सकेगी।
- रक्षा खरीद की प्रक्रिया से जुड़ा मैन्युअल हर दो महीने में अपडेट होगा।।

आलोचना

- रक्षा खरीद की नई नीति में भारतीय डिजाइन, डेवेलपमेंट और मैन्युफैक्चर्ड की कैटेगरी पेश की गई है जिससे स्थानीय रक्षा उद्योग को फायदा होगा।

- लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार रक्षा मंत्रालय ने 2016 की रक्षा खरीद नीति की घोषणा कर दी है। शब्दों में यह बेशक लंबी और विस्तृत नीति है, लेकिन राजनीतिक साहस और विचारों का इसमें घोर अभाव दिखता है।
- रक्षा खरीद नीति में प्रावधानों का घोर अभाव है जो इस दस्तावेज का आधार होता है। इससे घरेलू रक्षा उद्योग और विदेशी वेंडरों को महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए जाने थे जो कि इस दशक के दौरान 150 अरब डॉलर की राशि खर्च करने को तैयार हैं। इस रकम का इस्तेमाल भारतीय सैन्य बलों के आधुनिकीकरण में किया जाना है।
- रक्षा खरीद नीति में सबसे बड़ा भ्रम प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी नीति मेक इन इंडिया को लेकर है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने नीति में बॉय इंडियन-इंडिजीनस डिजाइन, डिवेलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर को शामिल किया है।
- इस प्रावधान के तहत अगर किसी रक्षा उपकरण में लागत के लिहाज से 40 फीसदी स्वदेशी उपकरण हैं तो उसकी डिजाइनिंग और उत्पादन देश के भीतर ही किया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही इसमें बॉय इंडियन कैटेगरी को शामिल किया गया है जिसके तहत 40 फीसदी स्वदेशी लागत वाले उपकरण को भारतीय वेंडर से ही खरीदा जाएगा।
- कहा जा सकता है कि रक्षा मंत्रालय के लिए देश के भीतर डिजाइन और डेवेलप किए गए हथियारों को खरीदना उसकी प्राथमिकता नहीं है। मंत्रालय को भारतीय वेंडरों की डिजाइनिंग और डेवेलपमेंट पर उतना भरोसा नहीं है।
- दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मेक इन इंडिया अभी भी जुमला ही बना हुआ है।
- बड़े सौदों के लिए अभी भी बाहर की कंपनियों पर निर्भरता बनी हुई है और ऐसा होने की वजह से आर्म्स डीलर के लिए रक्षा सौदों में रास्ता बना रहेगा।
- परिकर के पास रक्षा एजेंसियों को वैध बनाने का मौका था लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। इसके पीछे जो तर्क दिया गया है वह चौंकाने वाला है। मंत्रालय का कहना है कि दुनिया इस मोर्चे पर बेहद आगे निकल चुकी है।
- दुनिया में कहीं भी रक्षा एजेंसियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, क्योंकि सब जानते हैं कि वह हथियारों के सौदे के अहम हिस्से हैं और सौदों में उनकी भूमिका अहम होती है।
- निश्चित तौर पर इन एजेंसियों की भूमिका पर्दे के पीछे की होती है। अगर इसे देश में कानून के दायरे में लाया जाता तो कई तरह की अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलती।

रक्षा क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश

- वर्तमान में एफडीआई व्यवस्था के अंतर्गत स्वचालित मार्ग से एक कंपनी को इक्विटी में 49 प्रतिशत भागीदारी की अनुमति है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 49 प्रतिशत से अधिक की भागीदारी की अनुमति सरकारी अनुमोदन के माध्यम से प्राप्त होगी और यह निर्णय प्रति मामले के अनुसार होगा। इसके साथ ही अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच की शर्त को हटा दिया गया है। इस संबंध में रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:-
  (i) सरकारी स्वचालित मार्ग से 49 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश को खासकर उन मामलों में जहां देश की आधुनिक तकनीक तक पहुंच हो और अन्य कारणों पर भी अनुमति प्रदान की गई है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच होने की शर्त को समाप्त कर दिया गया है।
  (ii) शस्त्र अधिनियम, 1959 के अनुसार रक्षा क्षेत्र के लिए तय की गई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा को छोटे हथियार और गोलाबारूद के निर्माण के लिए लागू किया गया है।

कैग की रिपोर्ट में रक्षा सामानों की कमी पर

- कैग के द्वारा इस साल जनवरी में आर्मी के गोला-बारूद मैनेजमेंट का फॉलोअप ऑडिट किये जाने पर ये बात सामने आई कि, देश की ऑर्डिनेस फैक्ट्रियां पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाने के साथ क्षतिग्रस्त सामानों की मरम्मत भी नहीं कर पा रही हैं। गोला-बारूद के डिपो में अग्निशमनकर्मियों की कमी रही और उपकरणों से हादसे का खतरा रहा।
- साथ ही कैग की रिपोर्ट में बख्तरबंद वाहन की क्षमता पर भी सवाल उठाए गये, बताया गया है कि ऑपरेशन की अवधि की जरूरतों के हिसाब से सेना में वॉर वेस्टेज रिजर्व रखा जाता है। रक्षा मंत्रालय ने 40 दिन की अवधि के लिए इस रिजर्व को मंजूरी दी थी। 1999 में आर्मी ने तय किया कि कम से कम 20 दिन की अवधि के लिए रिजर्व होना ही चाहिए। सितंबर, 2016 में पाया गया कि सिर्फ 20 फीसदी गोला-बारूद ही 40 दिन के मानक पर खरे उतरे। 55 फीसदी गोला बारूद 20 दिन के न्यूनतम स्तर से भी कम थे। हालांकि इसमें बेहतरी आई है, लेकिन बेहतर फायर पावर को बनाए रखने के लिए बख्तरबंद वाहन और उच्च क्षमता वाले गोला-बारूद जरूरी लेवल से कम पाए गए।
- वहीं हथियारों की कमी और अधर में लटकी कई डील को छोड़कर एक और साइड है जो काफी निराश करती है क्योंकि कैग की रिपोर्ट में ये खुलासा भी हुआ है कि रिपेयरिंग में भी ऑर्डिनेस फैक्ट्रियों की हालत चिंताजनक है। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की ऑर्डिनेस फैक्ट्रियां क्षतिग्रस्त सामानों की मरम्मत करने में भी सक्षम नहीं हैं। गोला-बारूद के डिपो में अग्निशमनकर्मियों की कमी रही और उपकरणों से हादसे का खतरा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल जनवरी में आर्मी के गोला-बारूद मैनेजमेंट का फॉलोअप ऑडिट किया गया।
- ऑर्डिनेस फैक्ट्रियों में गोला बारूद की कमी भी चिंताजनक है, रिपोर्ट के मुताबिक, 10 दिन से कम अवधि के लिए गोला-बारूद की उपलब्धता क्रिटिकल (बेहद चिंताजनक) समझी गई है। 2013 में जहां 10 दिन की अवधि के लिए 170 के मुकाबले 85 गोला-बारूद ही (50 फीसदी) उपलब्ध थे, अब भी यह 152 के मुकाबले 61 (40 फीसदी) ही उपलब्ध हैं।
- 2008 से 2013 के बीच खरीदारी के लिए 9 आइटमों की पहचान की गई थी। 2014 से 2016 के बीच इनमें से पांच के ही कॉन्ट्रैक्ट पर काम हो सका है। कमी को दूर करने के लिए भारतीय सेना ने बताया है कि मंत्रालय ने वाइस चीफ के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं।

संभावित प्रश्न

''नई नीति में एक नई भारतीय डिजाइन, विकसित तथा विनिर्मित (आईडीडीएम) श्रेणी पेश की गई है जिससे स्थानीय इकाइयों को फायदा होगा। साथ ही विदेशी कंपनियों द्वारा पूर्व में जताई गई चिंताओं को भी इस नीति के जरिए दूर किया जा सकेगा।'' इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (200 शब्द)

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322